



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भारत/नीति दिशानिर्देश/ विविध दिशानिर्देश/ 2026 नीति परिपत्र सं. 18.129/ 2026 दिनांक 16th जुलाई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. HOUDIV/30/2026 - HOU Division (कम्प्यूटर सं. 316233 पर लिया गया निर्णय))}

NHAI/Policy Guidelines/Miscellaneous Guidelines /2026

Policy Circular No. 18.129 /2026 dated 16th July, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. HOUDIV/30/2026 - HOU Division (Comp No. 316233))}

विषय: अनुसंधान प्रयोजन के लिए सरकारी संस्थानों/संगठनों के साथ डाटा साझा करने की रूपरेखा के संबंध में।

Sub: Framework for Data sharing with Government Institutes/ Organisations for Research Purpose - reg.

सरकारी अनुसंधान संस्थानों अर्थात आईआईटी, एनआईटी और सीआरआरआई से पेवमेंट और संबद्ध यातायात डाटा को साझा करने की मांग करने वाले कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इन संस्थानों के प्राथमिक उद्देश्य पेवमेंट क्षरण मॉडल (पीडीएम) विकसित करना और यातायात प्रवाह विश्लेषण करना है।

Several requests are being received from Government Research Institutions, viz. IITs, NITs, and CRRIs seeking the sharing of pavement and associated traffic data. The Primary Objectives of these Institutes are to develop Pavement Deterioration Models (PDMs) and conduct Traffic Flow Analysis.

2. तदनुसार, एक रूपरेखा तैयार की गई है और ऐसे सभी अनुरोध एचओयू एवं आरएमडी प्रभाग द्वारा प्राप्त और परीक्षित किए जा सकते हैं तथा संतोषजनक पाए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी संस्थानों/संगठनों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के 2000 किमी तक का एक नमूना डाटा साझा किया जा सकता है:

Accordingly, a framework has been created and all such requests can be received & examined by HOU & RMD division and if found satisfactory, a sample data upto 2000 km of National Highways can be shared with the Government Institutes/ Organisation subject to the following conditions:

- संस्थान अपने स्वयं के अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए परिणामों का उपयोग करने का हकदार है।
The Institution is entitled to use the results for its own Research and Academic purposes.
- संस्थानों को एक मानक एनडीए पर हस्ताक्षर करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाटा का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए न किया जाए या इसे तीसरे पक्षों के साथ साझा न किया जाए।
Institutions must sign a standard Non-Disclosure Agreement (NDA) to ensure data is not used for commercial purposes or shared with Third Parties.
- संस्थानों को तीसरे पक्षों को "समेकित डेटा" के प्रकटीकरण को रोकने के लिए उसी स्तर की सावधानी बरतनी होगी जो वे अपने स्वामित्व वाले डाटा के लिए बरतते हैं।
Institutions must use the same degree of care to prevent disclosure of "Consolidated Data" to Third Parties as they use for their own proprietary data.

Contd.....2/-

- iv. संस्थान के लिए अनुसंधान परियोजना में शामिल सभी कर्मियों से गोपनीयता वचनबंध प्राप्त करना आवश्यक है। यदि डाटा सलाहकारों के साथ साझा किया जाता है, तो उन्हें भी एक गोपनीयता वचनबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
The Institution is required to obtain secrecy undertakings from all personnel involved in the Research Project. If data is shared with Advisors, they must also sign a confidentiality undertaking.
- v. गोपनीयता दायित्व एमओयू की अवधि के दौरान और इसकी समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद **तीन वर्षों** तक प्रभावी रहेंगे।
Confidentiality obligations remain in effect during the MoU and for **Three Years** after its expiry or termination.
- vi. संस्थान समझौते से संबंधित कार्य प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें **भाराराप्रा की गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।**
Institutions may publish work related to the agreement but **must not disclose confidential NHA I information.**
- vii. पत्रिकाओं में अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित करने से पहले भाराराप्रा से पूर्व अनुमति आवश्यक है।
Prior permission from NHA I is required before publishing Research outcomes in Journals.
- viii. सभी प्रकाशनों में भाराराप्रा के प्रति उचित आभार व्यक्त किया जाना चाहिए।
All publications must include due acknowledgment to NHA I.
- ix. विसंगतियों, आउटलायर्स और लुप्त मानों से निपटने के लिए डेटा के पूर्व-प्रसंस्करण हेतु संस्थान उत्तरदायी है।
The Institution is responsible for pre-processing data to deal with anomalies, outliers and missing values.
- x. डेटा का प्रबंधन और रखरखाव दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से चर्चा किए गए और सहमत प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए।
Data must be handled and maintained according to Protocols mutually discussed and agreed upon by both Parties.
- xi. भाराराप्रा और संस्थान, अनुसंधान के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संयुक्त स्वामी होंगे।
NHA I and the Institution will be **Joint Owners** of any Intellectual Property Rights (IPR) resulting from the research.
- xii. संस्थानों को पेटेंट आवेदन दाखिल करने में भाराराप्रा की सहायता करनी होगी और पेटेंट या कॉपीराइट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
Institutions must assist NHA I in filing Patent applications and sign all necessary documents for Patents or Copyrights.
- xiii. संस्थान को कार्य से संबंधित आईपीआर के किसी भी उल्लंघन या अतिक्रमण के बारे में भाराराप्रा को तुरंत सूचित करना होगा ताकि आगे किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण को रोका जा सके।
The institution must promptly inform NHA I of any infringement or breach of IPR related to the work to prevent further Un-authorized disclosure.



- xiv. पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, न्यायालय के आदेश द्वारा कानूनी रूप से प्रकट की जाने वाली जानकारी या एमओयू से पहले संस्थान के पास मौजूद उस जानकारी पर जो भाराराप्रा से प्राप्त नहीं की गई थी, गोपनीयता प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

Confidentiality restrictions do not apply to information already in the Public Domain, Information legally required to be disclosed by Court Order or information possessed by the Institution prior to the MoU that was not acquired from NHA.

3. तत्पश्चात, पायलट अनुसंधान परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, संस्थान से परियोजना के परिणामों को प्रस्तुत करने/ विकसित पीडीएम का प्रदर्शन करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि परिणाम फलदायी प्रतीत होते हैं तो औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद परियोजना पूर्ण रूप से शुरू की जा सकती है।

Subsequently, on successful completion of Pilot Research Project, the Institute may be requested to present the outcomes of the Project/ Demonstrate the developed PDM. In case, the outcomes appears to be fruitful, full scale Project may be taken up after signing of formal MoU.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.


16/07/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHA HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.